Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 15, Issue No. 12, December-2018, ISSN 2230-7540

भारतीय राजनीति में पड़ने वाले क्षेत्रवाद के प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Neelam Devi*

Research Scholar, Department of Political Science, Kurukshetra University, Kurukshetra

शोध-आलेख सार: साधारण शब्दों में, क्षेत्रवाद से अभिप्रायः किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की उस भावना एवं प्रयत्न से होता है, जो उन्हे अपने क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रेरित करती है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में क्षेत्रवाद एक अपभ्रंश प्रयोग है, जिसका अभिप्राय है- राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य की अपेक्षा किसी छोटे क्षेत्र के प्रति लगाव, भक्ति या विशेष आकर्षण। इस तरह क्षेत्रवाद राष्ट्रीयता की भावना का विलोम है, जिसका उद्देश्य है-संकीर्ण क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति। भारतीय राजनीतिक परिपेक्ष में यह एक ऐसी धारणा है, जो राष्ट्रीय एकीकरण को समाप्त करते हुए पृथकतावादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देती है।

मुख्य-शब्द: साम्प्रदायिकता,सामाजिक-आर्थिक विकास, क्षेत्रवाद, राष्ट्रीय एकीकरण पृथकतावादी।

----------x----------

शोध-प्रविधिः

इस शोध-पत्र के लिए शोध सामग्री अधिकांश रूप में द्वितीयक स्रोतों से ग्रहण की गई हैं। इसमें ऐतिहासिक विश्लेषण व वर्णनात्मक दृष्टिकोण के साथ-साथ शोधकत्र्ता ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को भी स्थान दिया है। शोध सामग्री प्रसिद्ध पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं व समाचार पत्रों से प्राप्त की गई हैं।

क्षेत्रवाद के रूप-भारत में क्षेत्रवाद के पनपने के विभिन्न आधार तथा कारण हैं। इन्ही से क्षेत्रवाद के रूपों का निर्धारण होता है। भारत में क्षेत्रवाद मोटे तौर पर निम्नलिखित तीन रूपों में प्रकट हुआ है-

1. **भाषाई क्षेत्रवाद-** भारत में भाषाई क्षेत्रवाद को पैदा तथा विकसित करने में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन रहा है। भाषाई विवाद स्वतंत्रता से पूर्व ही राजनीति का एक प्रमुख मुद्दा बन गया था। 1920में कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष यह मांग रखी थी कि देश में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएं 1928 की नेहरू रिपोर्ट में भी इस मांग को दोहराया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् संविधान सभा में सर्वाधिक विवादस्पद विषय भाषा ही था। संविधान सभा ने इस विषय में विशेषज्ञों की राय जानने के लिए 1948 में धर आयोग का गठन किया। इस आयोग के सुझावों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। संविधान-निर्माण के दौरान ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग जोर पकड़ने लगी थी। 1952 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर पोट्टी श्री रामुलु ने आमरण अनशन किया। 56 दिन के अनशन के पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया, जिसके कारण इस आन्दोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। अन्ततः 1 अक्टूबर, 1953 को आंध्र प्रदेश की स्थापना कर दी गई। इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक क्षेत्रों से भाषा के आधार पर अलग राज्यों के गठन की मांगे आनी आरम्भ हो गईं तथा इसके लिए आन्दोलन आरम्भ हो गए।

इन आन्दोलनों के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश फजल अली तथा सदस्य के. एम. पाणिकर तथा एच. एन. कुंजरू थे। इस आयोग ने 1956 मे भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करे स्वीकार करते हुए 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित क्षेत्रों के गठन की सिफारिश की। इस आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप 1960 में बंबई राज्य का विभाजन करके महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य स्थापित किए गए। इसी प्रकार 1966 में तत्कालीन पंजाब का विभाजन हुआ तथा पंजाब व हरियाणा नामक राज्य अस्तित्व में आए। इस तरह भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गन होता गया और

www.ignited.in

धीर-धीरे राज्यों की संख्या बढती गई। वर्तमान में 29 राज्य तथा सात केंद्र शासित क्षेत्र मिलकर भारत संघ का निर्माण करते हैं।

2. **सुरक्षात्मक क्षेत्रवाद-** कई राज्यों में सुरक्षात्मक क्षेत्रवाद का विकास हुआ है। सुरक्षात्मक क्षेत्रवाद का आधार आर्थिक है। इसका जन्म उन राज्यों में हुआ, जहां पर दूसरे राज्यों से आए लोगों ने व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योगों पर अपना अधिकार कर लिया था और जहां स्थानीय लोग बाहरी लोगों की तुलना में आर्थिक रूप से पिछड़ गए थे। इस प्रकार के क्षेत्रवाद का आरम्भ देश की वाणिज्य राजधानी मुम्बई से आरम्भ हुआ। महाराष्ट्र में 1966 में शिव सेना ने मराठियों की रक्षा के लिए संघर्ष आरम्भ किया। शिव सेना ने इस बात पर बल दिया कि मराठी केवल उन होटलों पर जाएं, जो मराठियों द्वारा चलाए जा रहे हैं तथा मराठियों को ही मकान किराए पर दिए जाएं। इसने यह भी कहा कि महाराष्ट्र कारखानों में केवल मराठियों को ही नौकरियां प्रदान की जाएं। महाराष्ट्र में शिव सेना की तरह आंध्र प्रदेश में तेलंगाना प्रजा समिति तथा असम में अखिल असम विद्यार्थी परिषद् तथा सर्व असम गण संग्राम परिषद् आदि की गतिविधियां सुरक्षात्मक क्षेत्रवाद के रूप में उभरी। 1973 में 33वें संविधान संशोधन द्वारा समूचे तेलंगाना क्षेत्र को आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करके उसे विशेष सुविधाएं प्रदान की गई। इसके पश्चात राजनीतिक आन्दोलन तो शांत हो गया, किन्तु नक्सली हिंसा का दौर प्रारम्भ हो गया, जो आज तक जारी है। इसी प्रकार सुरक्षात्मक क्षेत्रवाद और भी कई राज्यों में विकसित हुआ। पश्चिम बंगाल, तमिल नाडू, बिहार आदि राज्यों के निवासी वहां रहने वाले अन्य राज्यों के लोगों को प्रायः घृणा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वे ऐसा अनुभव करते हैं कि उनकी दयनीय स्थिति अन्य राज्यों से आए लोगों के कारण है। सुरक्षात्मक क्षेत्रवाद के कारण ही कई राज्यों में राज्य के निवासियों को सरकारी नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के समय प्राथमिकता दी जाती है।

3. **अलगाववादी क्षेत्रवाद-** अलगाववादी क्षेत्रवाद ऐसा क्षेत्रवाद है, जिसका निहितार्थ भारत संघ से अलग होने की मांग करना है। ऐसे क्षेत्रवाद का प्रथम उदाहरण 5 जून, 1960 को उस समय हमारे सामने आया, जब द्रविड़ मुनेत्र कड्गम ने मद्रास में यह मांग की कि मद्रास राज्य को भारत से अलग करके तमिल नाडू नामक राज्य स्थापित किया जाए। इसके कुछ समय पश्चात् उसने यह मांग की कि मद्रास, आंध्रप्रदेश, केरल तथा मैसूर को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए। जब उसकी इस मांग को पूरा समर्थन नहीं मिला, तो उसने यह मांग छोड़ दी। 1960 के दशक में ही मिजोरम में भी भारत से पृथक होने के लिए आन्दोलन चलाया गया। यही बात नागालैण्ड में देखने को मिली।

1980 के दशक में पंजाब में अलगाववादी क्षेत्रवाद की राजनीति के परिणामस्वरूप अनेक हिंसक घटनाएँ हुईं। अन्त में यहां पर सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके कारण प्रधानमंत्री गांधी जी को भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। जम्मु-कश्मीर में यह आरम्भ से ही चला आ रहा था, किन्तु पिछले 20-35 वर्षों में कश्मीर में अलगाववादी शक्तियाँ और भी सक्रिय हुई हैं। भारत मे जारी अलगाववादी क्षेत्रवाद में पड़ोसी देश पाकिस्तान भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यदि स्पष्ट रूप से कहा जाए तो कश्मीर में अलगाववादी शक्तियों को पाकिस्तान का संरक्षण प्राप्त है।

भारत में क्षेत्रवाद के अनेक रूप पाए जाते हैं, किन्तु पिछले 50 वर्षों में भारत ने इनका सफलतापूर्वक सामना किया है तथा लोकतंत्र को सुरक्षित रखा है। ऐसे में यह आशा की जा सकती है कि निकट भविष्य में देश की एकता तथा अखण्डता को इससे कोई विशेष खतरा नहीं है।

क्षेत्रवाद को जन्म देने वाले कारक- भारत में क्षेत्रवाद की भावना एक कारण से नहीं, बल्कि अनेक कारणों से पनपी है, जिनमें मुख्य कारण निम्नलिखित है-

1. भौगोलिक एवं सांस्कुतिक कारण- भारत में क्षेत्रवाद की भावना को जन्म देने में भौगोलिक एवं सांस्कृतिक कारको की उल्लेखनीय भूमिका रही है। भारत में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा बिहार आकार की दृष्टि से बड़े राज्य हैं। ये राज्य भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि मध्य प्रदेश से मालवा क्षेत्र को ताप्ति राजस्थान से मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्रों को अलग करके राज्य का दर्जा दे दिया जाए, तो भी ये नागालैंड से बड़े राज्य होंगे तथा अलग राज्य के रूप में ये अधिक विकास कर सकेंगे। संस्कृति भी क्षेत्रीयवाद को जन्म देने में सहयोग देती हैं। तमिलनाडु के लोग अपनी संस्कृति पर बहुत गर्व करते हैं इसी आधार पर वे राम जैसे महापुरूष की

www.ignited.in

आलोचना करते हैं। इसी कारण 1975 में राम व लक्ष्मण के पुतले जलाये गये थे।

2. ऐतिहासिक कारण- भारत में राज्यों के पुनर्गठन के समय कई पुरानी रियासतों को देश में मिला दिया गया था। आज भी इन रियासतों के लोग यह महसूस करते हैं कि यदि उनकी रियासत एक पृथक राज्य होती, तो वे अधिक लाभ की स्थिति में होते। दूसरे शब्दों में, भारत का इतिहास क्षेत्रों के आधार पर भिन्न-भिन्न है यह अभी भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है। देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक विरासतों, लोक परम्पराओं, सामाजिक मिथकों तथा प्रतीकों के आधार पर क्षेत्रवाद की भावना को प्रोत्साहन मिलता है।

3. आर्थिक कारण – भारत में आर्थिक कारक भी क्षेत्रवाद के अभ्युदय के लिए जिम्मेदार रहे हैं। देश में कई ऐसे राज्य हैं, जहां आर्थिक असंतुलन देखने को मिलता है अर्थात् एक ही राज्य के कुछ क्षेत्र साधन-सम्पन्न हैं, तो दूसरे क्षेत्र साधनहीन हैं। ऐसी स्थिति में साधनहीन क्षेत्रों के लोगों में असन्तोष जन्म लेने लगता है तथा वे विकास के नाम पर अलग राज्य की मांग करने लगते हैं, जैसे- आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड आदि। आर्थिक असंतुलन के संदर्भ में उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री जे. बी. पटनायक ने सरकारी आंकड़ों के आधार पर कहा था कि पूर्वी राज्यों की उपेक्षा की गयी है, जिसके कारण देश में आर्थिक विषमताएं बढी हैं। आर्थिक विषमताएं पैदा करने में नेताओं का भेदभावपूर्ण व्यवहार काफी हद तक जिम्मेदार रहा है, क्योंकि ये अपने-अपने निर्वाचन-क्षेत्रों का विकास करते रहे हैं।

4. राजनीतिक कारण- देश में राजनीतिक कारणों से भी क्षेत्रवाद का जन्म हुआ है। राजनीतिज्ञ यह सोचते हैं कि यदि पृथक राज्य बन जाएँगे, तो उनकी राजनीतिक महŸवाकांक्षाओं की पूर्ति आसानी से हो सकेगी। क्षेत्रीय दलों, जैसे- डी. एम. के. अकाली दल, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, शिव सेना आदि ने राजनीतिक कारणों से क्षेत्रवाद की भावना को हवा दी है। दूसरी ओर केंद्र सरकार का कुछ राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार भी क्षेत्रवाद की भावना को जन्म देता है। पंजाब में अकाली को सत्ता से दूर रखने का जो प्रयास कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया, उसने क्षेत्रवाद को पनपने का अवसर दिया।

5. भाषावाद- भारत में 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की जा चुकी है। इनके अलावा भी देश में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। भारत सरकार ने भाषा-संबंधी विवादों को सुलझाने के काफी प्रयास किए हैं। उदाहरण के लिए पहले 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ और बाद में 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया, लेकिन इसके बावजूद भी यह समस्या नहीं सुलझ पाई और भाषा के आधार पर अलग राज्यों की मांगे की जाती रही। भाषा के आधार 1960 में बम्बई राज्य को महाराष्ट्र व गुजरात में विभक्त किया गया भाषाई आधार पर अकाली दल ने 'पंजाबी सूबे' की स्थापना की मांग की, जिसकी परिणति नवम्बर, 1966 में पंजाब विभाजन में हुई।

6. जाति और धर्म- भारत में जाति और धर्म ने भी क्षेत्रवाद को प्रोत्साहन दिया है। भारत में मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने से जातिवाद की प्रवृत्ति बढी है। जिन क्षेत्रों में किसी एक जाति की बहुलता होती है, वहाँ क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है। हरियाणा एवं महाराष्ट्र में जाति का तत्व क्षेत्रवाद की भावना को बढाने में सहयोगी रहा है। जाति की तरह धर्म भी क्षेत्रवाद की भावना को बढाने में उल्लेखनीय भूमिका अदा कर रहा है। देश के जिन क्षेत्रों में एक धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, वे संगठित होकर अलग राज्य की मांग करने लगते हैं, क्योंकि उन्हे ऐसा लगता है कि अलग राज्य में उनके हित सुरक्षित रह सकते हैं। पंजाबी सूबे की मांग के पीछे, यह भी एक कारण रहा था।

7. अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े- देश के अनेक राज्यों के मध्य जल, व भू-खण्ड आदि के बंटवारे को लेकर विवाद जारी हैं। राजनीतिक दलों ने इस विवाद को राजनीतिक रंग प्रदान करके क्षेत्रवाद को जन्म दिया है। पंजाब और हरियाणा के बीच चण्डीगढ और समलुज-यमुना सम्पर्क नहर का विवाद, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश के मध्य उधम सिंह नगर और हरिद्वार को लेकर उभरे विवाद ने क्षेत्रवाद को जन्म दिया है।

8. राजनीतिक दल- भारत में क्षेत्रीय दल भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए क्षेत्रवाद को बढावा देता है। क्षेत्रवाद के विकास में अनेक राजनीतिक दलों ने महम्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन दलों में डी. एम. के., अन्ना डी. एम., के., अकाली

दल, तेलगु देशम, असम गण परिषद्, इण्डियन नेशनल लोकदल, नेशनल कांफ्रेंस आदि हैं।

भारतीय राजनीति पर क्षेत्रवाद का प्रभाव- क्षेत्रवाद की भावना ने अनेक प्रकार से भारतीय राजनीति को प्रभावित किया है, जैसे-

1. भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद ने गठबंधन की राजनीति को जन्म दिया है। एक समय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में एक राष्ट्रीय राजनीति दल सहित 20 से अधिक क्षेत्रीय दल शामिल थे। इसी प्रकार कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में भी अनेकों क्षेत्रीय दल शामिल हैं। पिछले दस वर्षों की राजनीति पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि क्षेत्रीय दल देश की राजनीति को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

2. मंत्री-परिषद् के निर्माण के समय हमें क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। मंत्रि-परिषद् में प्रायः सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को लिया जाता है। साधारणतया यह शिकायत की जाति रही है कि पी. वी. नरसिंहमा राव को छोड़कर अब तक कोई भी प्रधानमंत्री दक्षिणी राज्यों से नहीं बना है। प्रधानमंत्री अपने मंत्री-परिषद् में प्रत्येक क्षेत्र को उसके महत्व के आधार पर प्रतिनिधित्व देना पड़ता है ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मंत्री चुनने में स्वतंत्र हैं: क्षेत्र चुनने में नहीं।

3. देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक क्षेत्रों में नए राज्यों के गठन की मांग की गई इसके परिणामस्वरूप वर्तमान समय में भारत में 29 राज्य मौजूद हैं फिर भी क्षेत्रीय आधार पर राज्यों के गठन की मांग कम नहीं हुई हैं अभी भी हरित प्रदेश, बुन्देलखण्ड, विदर्भ, वनांचल, बोडोलैण्ड आदि राज्यों की गठन की मांग की जा रही है।

4. क्षेत्रवाद के विभिन्न राज्यों के मध्य विवाद भी उत्पन्न किए हैं। हरियाणा व पंजाब के मध्य चण्डिगढ और सतलुज यमुना के पानी के बंटवारे को लेकर और कर्नाटक व तमिलनाडु के मध्य कोवरी जल बंटवारे को लेकर अभी भी विवाद जारी है।

5. क्षेत्रवाद में भाषावाद को जन्म दिया है। क्षेत्रवादी भावनाओं के कारण गैर-हिन्दू भाषी राज्यों ने हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का विरोध किया। क्षेत्रवादी भावनाओं के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के 66 वर्षों के पश्चात भी भारत में बोल-चाल की एक सामान्य भाषा का विकास नहीं हो पाया है।

6. क्षेत्रवाद पर जन्में क्षेत्रीय संगठनों ने अनेक अलगाववादी आन्दोलन चलाए हैं। अल्फा में असम में, मिजो नेशनल फ्रंट में मिजोरम में, जे. के. एल. एफ. ने जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी आन्दोलन चलाए। क्षेत्रवाद ने कुछ हद तक भारतीय राजनीति में हिंसक गतिविधियों को भी उभारा है यहि कारण है कि 80 के दशक में पंजाब में मौजूद कई सिक्ख संगठनों ने हिंसक गतिविधियों का सहारा लिया।

7. क्षेत्रवाद का भारतीय राजनीति पर एक प्रभाव यह भी पड़ा है कि इसे केंद्र और अनेक राज्यों की राजनीति में अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हुआ है। 1989 से लेकर 2009 तक सम्पन्न 6 लोकसभा चुनावों के पीछे यही कारण था कि लोगों ने क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर मतदान किया था और किसी भी राष्ट्रीय दल को स्पष्ट बहुमत प्रदान नहीं किया था।

8. क्षेत्रवाद के फलस्वरूप अनेक क्षेत्रीय दलों का निर्माण हुआ है। 15वीं लोकसभा के चुनावों के समय चुनाव आयोग ने 40 क्षेत्रीय दलों का मान्यता प्रदान की थी। इसमें डी. एम. के. ए., अन्ना डी. एम. के., मिजो नेशनल फ्रंट, असम गण परिषद्, इण्डियन नेशनल लोकदल, अकाली दल, तेलगू देशम, नेशनल कान्फ्रेंस, शिव सेना, समता पार्टी आदि प्रमुख हैं। क्षेत्रवाद के प्रभाव के कारण इन दलों को जन-समर्थन भी मिलता रहा है।

9. क्षेत्रवाद के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो तनाव और संघर्ष उत्पन्न हुआ, उसने कुछ सीमा तक राष्ट्रीय एकता की अवधारणा पर तुषारापात किया है। क्षेत्रवाद के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रोंके लोगों में कभी आर्थिक स्वार्थों को लेकर, कभी राजनीतिक स्वार्थों को लेकर, तो कभी धार्मिक स्वार्थों को लेकर जो झगड़े या मनमुटाव होते हैं, वे राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध होते हैं।

10. क्षेत्रवाद के कारण केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच कटु संबंध कायम हुए हैं। प्रत्येक क्षेत्र के हित-समूह, नेतागण, उद्योगपति या राजनीतिज्ञ अपने-अपने क्षेत्र के हितों को प्राथमिकता देते हैं और केंद्र सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण के लिए झारखण्ड राज्य की स्थापना के मुद्दे ने केंद्र सरकार और बिहार की सरकार के बीच बहुत कटुता पैदा कर दी थी। क्षेत्रवाद के

www.ignited.in

फलस्वरूप भारत में सहकारी संघवाद की भावना के स्थान पर संघर्षात्म्क संघवाद की स्थापना हुई है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:

1 कुमार डॉ. राकेश 'हरिणा में क्षेत्रीय दलों की भूमिका प्रमुखत्या इनेलो का अध्ययन' पी.एच.डी. शोध ग्रन्थ, 2017

2 चौधरी नीरजा 'मोदी प्रभाव विस्तार' दैनिक जागरण, रोहतक, 20 अक्टूबर 2014।

3 खेड़ा हरीश (2014). जिसकी दिल्ली उसका हरियाणा' अमर उजाला, रोहतक 27 अगस्त 2014।

4 बंसल पवन 'हरियाणा में पहली बार भाजपा बहुमत के साथ' जनसत्ता, दिल्ली, 20 अक्टूबर 2014।

5 यादव के.सी. 'सर छोटू राम (1881-1945) अन्डरसटैन्डिग हिज पालिटीकल आडियालाजी वल्ड वियू अचीवमेंट, जरनल आफ पियूप्ल एण्ड सोसायटी आफ हरियाणा', बिनायल पब्लिकेशन ऑफ़ म.द.वि., रोहतक, अप्रैल 2010

6 चौधरी डी. आर. 'हरियाणा इल्यूजन एण्ड रियलिटि फेडरल इण्डिया पब्लिशर', चण्डीगढ 1999

7 दहिया भीम सिंह 'हरियाणा में सत्ता की राजनीति: जाति व धन का खेल' ज्ञान प्रकाशन, नई दिल्ली 2009

8 कश्यप सुभाष 'दल-बदल व राज्य की राजनीति' श्रीवाली प्रकाशन, मेरठ 1970

9 यादव जे.एन. सिंह 'हरियाणा स्टडी ऑफ़ हिस्ट्री एण्ड पॉलिटिक्स, प्रकाशन मनोहर', गुरूग्राम 1976

10 चाहर एस.एस. 'डाइनामिक्स ऑफ़ इलैक्ट्राल इन हरियाणा प्रकाशन संजय, नई दिल्ली 2008

11 मितल, एस.एस., 'हरियाणा: ए हिस्टोरिक्ल पर्सपेक्टिव' प्रकाशन एटलांटिक, नई दिल्ली, 1976।

12 कश्यप सुभाष, 'गठबन्धन की सरकार और भारत में राजनीति, 'प्रकाशन एन. बी.डी.टी, नई दिल्ली, 1997

13 सुरेन्द्र कटारिया, भारत में लोक प्रशासन, आरबीएसए पब्लिशर्स, जयपुर, पेज-221.

14 एन.एस. कहलोत, न्यू चैलेन्ज टू इंडियन पॉलिटिक्स टीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, प्रा. लि., दिल्ली.

15 रमेश अरोरा, रजनी गोयल, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीटयूट एण्ड इश्यू, विश्व प्रकाशन, नई दिल्ली

16 एम.पी. सिंह, हिमांशु राय, इंडियन पोलिटिक्स सिस्टम, मानक पाब्लकेशन, नई दिल्ली।

17 The Search for a perfect Bill, The Indian Express, 28 Aug 2011.

18 Victory for Anna, Parliament adopt's Sense of house on Lokpal Bill' Times of India 27 Aug 2011.

19 Lok Sablha Debate, Sushma Swaraj Says BJP supports Hazzare 3 Must have Point, NDITV 27 Aug 2011.

20 C.L. Baghel, Yogander Kumar, Public Adminstration, Vol-2, Knishka Publication, New Delhi.

Corresponding Author

Neelam Devi*

Research Scholar, Department of Political Science, Kurukshetra University, Kurukshetra

nilam1126@gmail.com